FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **महेन्द्र जाट बनाम सरकार जरिये एसएचओ बडौदामेव, अलवर**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/99/2024 दायर दिनांक 17.09.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजि0 संख्या RJ-52-GA-6107 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना बडौदामेव से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1914 दिनांक 23.09.2024 के माध्यम से न्यायालय हाजा में रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि "मुकदमा हाजा में वाहन स्वामी महेन्द जाट से मुकदमा हाजा में तफतीश की गई तो बताया मेरे पास एक ट्रक नम्बर आर जे 52 जी ए 6107 है जिस पर करीब 4 साल से चालक श्री आजाद पुत्र श्री फजरु जाति मेंव निवासी जलालपुर पुलिस थाना नगीना जिला नूंह हरियाणा से मेरा वाहन को चला रहा था। मेरे ट्रक मे गौवंश के परिवहन करने के बारे मे मेरा वाहन चालक श्री आजाद ही बता सकता है। मुकदमा हाजा में अनुसंधान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम महेन्द्र जाट पुत्र स्व०श्री भैरुराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी भांकरी पुलिस थाना प्रागपुरा जिला कोटपूतली बहरोड राज० के विरुद्व अपराध धारा 6 आरबीए एक्ट का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया पाये जाने पर मुलजिम को दिनाँक 22.07.2024 को जरियें फर्द गिरफतार किया गया व मुलजिम को अदालत श्रीमान एम जे एम सा०लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज०में पेश किया गया न्यायालय श्रीमान से मुलजिम को जेसी आदेश फरमाया गया मुलजिम का जेसी वारन्ट प्राप्त कर मुलजिम को जेल दाखिल कराया गया। वर्तमान में मुलजिम महेन्द्र जाट न्यायालय श्रीमान से जमानत पर है। मुकदमा हाजा के अन्य वांछित मुलजिमान की तलाश पतारसी जारी है। मुकदमा हाजा का वाहन स्वामी महेन्द्र जाट के द्वारा मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर आर जे 52 जी	

जिला कलक्टर अलवर (राज०)

ए 6107 का आज तक वाहन का असल रजिस्ट्रेशन व अपना चालक आजाद को पेश नही किया गया है। अतः मुकदमा हाजा मे जप्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर आर जे 52 जी ए 6107 को नही छोडा जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं थानाधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। थानाधिकारी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी महेन्द्र जाट अपराध धारा 6 आरबीए एक्ट का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया गया है तथा जप्त शुदा वाहन का असल रजिस्ट्रेशन प्रमाण व अपने चालक आजाद को आवश्यक अनुसंधान हेतु पेश नहीं किया जा रहा है। जिस कारण वाहन को छोडे जाने से थानाधिकारी द्वारा इन्कार किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व थानाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी श्री महेन्द्र जाट पुत्र स्व० श्री भैरुराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी हाल भांकरी पुलिस थाना प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राज० का प्रा0पत्र सुपुर्दगी अन्तर्गत आर0बी0एक्ट खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)